

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
यूको बैंक, निम्न वर्णित संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित संपत्तियों की विक्री द्वारा बैंक की देय राशि की उपाई हेतु प्रस्तावित (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन "जैसा है जहां है" एवं "जो है जैसा है" व "जैसी है जहां भी है" एवं "जिना किसी रिक्तियों" के आधार पर कठोरतया इसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन जारी सूचना से निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है। अप्रोहस्तारही द्वारा विक्री वेबसाइट पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी एवं शाखा प्रबंधक का नाम, संपर्क सं.	प्राणी एवं गारंटर का नाम	ए) मांग सूचना की तिथि बी) सूचना के अनुसार निघत राशि सी) कब्जे की तिथि डी) वर्तमान बकाया देय राशि ई) कब्जे का प्रकार	ए) संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय बी) ईंग्रैड एवं दस्तावेज प्रतुनीकरण की तिथि एवं समय सी) ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आवृत्ति कीमत धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि
1.	शाखा बिड़ाना	प्राधिकृत अधिकारी: श्री एस.के.पी.एम. मो. 9670656970 शाखा प्रमुख श्री बरुण शर्मा मो. 7678397290	श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री गोरख राम और श्री विजय कुमार पुत्र गोरख राम दोनों निवासी गांव मटकर, पीओ बहिना, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) 176040 गारंटर: श्री गोरख राम पुत्र श्री धनु राम, गांव मटकर, पीओ बहिना, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) 176040	ए) 31.01.2017 बी) 30.11.2016 को रु. 12,21,521.18 जमा लंबित ब्याज और प्रभार सी) 28.08.2019 डी) वर्तमान बकाया देय राशि रु. 14,78,162.22 जमा लंबित ब्याज, विधिक और वसूली प्रभार। ई) भौतिक कब्जा	ए) 29.01.2024 को प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक बी) 29.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मध्य 05:00 बजे के मध्य (10 मिनिट प्रत्येक के मध्य विस्तार सहित) सी) 30.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मध्य 05:00 बजे के मध्य (10 मिनिट प्रत्येक के मध्य विस्तार सहित) डी) वर्तमान बकाया देय राशि रु. 14,78,162.22 जमा लंबित ब्याज, विधिक और वसूली प्रभार। ई) भौतिक कब्जा	रु. 5,47,000.00 रु. 54,000.00 रु. 5,000.00

चल संपत्ति का विवरण:- गांव-मटकर, डककर-बहिना, तहसील-बडसर, जिला-हमीरपुर (हि.प्र.) में स्थित खाता सं. 231 मिन खातों सं. 264 मिन खसरा सं. 479-481 किता-2 में सम्मिलित रिहायशी भूमि एवं भवन माप 0-03-84 हेक्टर।

2.	शाखा:देहरा	प्राधिकृत अधिकारी: श्री बचन कुमार सिंह मो. 9438277649 शाखा प्रमुख श्री मृणाल चौधरी मो. 7678397290	श्रीमती शिवानी पत्नी श्री अभिनव कुमार, निवासी गांव चोड़, डककर एवं तहसील जलामुखी, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176031	ए) 12.07.2023 बी) 21.02.2023 को रु. 8,27,081.62 जमा लंबित ब्याज और प्रभार सी) 10.05.2024 डी) वर्तमान बकाया देय राशि रु. 9,45,944.77 जमा लंबित ब्याज, विधिक और वसूली प्रभार। ई) भौतिक कब्जा	ए) 29.01.2024 को प्रातः 11:00 बजे से 17:00 बजे तक बी) 29.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मध्य 05:00 बजे के मध्य (10 मिनिट प्रत्येक के मध्य विस्तार सहित)	रु. 1,92,000.00 रु. 19,200.00 रु. 5,000.00
----	------------	---	--	---	--	--

चल संपत्ति का विवरण:- सभी हार्डपॉइन्ट संपत्तियां जैसे बुक डेटर, प्राप्तावत, उभोय स्टोर्स एवं स्पेयर सहित मौजूद परिसंपत्तियां तथा हार्डपॉइन्ट चाल प्लांट एवं मशीनरी आदि। प्लांट एवं मशीनरी का विवरण निम्न प्रदान किया गया है:- 1. कटिंगर आउटपुट-पॉइन्ट-8, 2. प्लेस्ट-80, 3. छेदी बाल्टी-2, 4. बड़े आकार के पॉट-1, 5. पिछल बाल्टी आकार 14' लगभग-6, 6. पिछल छेदा आकार-3, 7. पिछल मध्यम आकार 10' लगभग-13, 8. टेबल (लकड़ी एवं लोहे के मिश्रित) 2' 4"-11, 9. पाईप 10' लगभग-9, 10. प्लास्टिक की कुर्सीयां-16, 11. रिंग स्टैंड ग्रेड पेड आयरन-1

3.	शाखा: लंबागांव	प्राधिकृत अधिकारी: श्रीमती कंचन मो. 8894075555 शाखा प्रमुख श्री ललित शर्मा मो. 8076438057	श्रीमती मेसर्स दुर्गा प्लेस्ट मैनुफैक्चरिंग, प्रा.प. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विहार लाल, गांव-चमर, डककर सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला-कांगड़ा (हि.प्र.) गारंटर: श्री विहार लाल, गांव-चमर, डककर सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला-कांगड़ा (हि.प्र.)	ए) 02.01.2024 बी) 01.01.2024 को रु. 6,60,634.03 जमा लंबित ब्याज और प्रभार सी) 09.07.2024 डी) वर्तमान बकाया देय राशि रु. 7,32,884.59 जमा लंबित ब्याज, विधिक और वसूली प्रभार। ई) भौतिक कब्जा	ए) 29.01.2024 को प्रातः 11:00 बजे से 17:00 बजे तक बी) 29.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मध्य 05:00 बजे के मध्य (10 मिनिट प्रत्येक के मध्य विस्तार सहित)	रु. 4,21,000.00 रु. 42,100.00 रु. 5,000.00
----	----------------	---	--	---	--	--

कांगड़ा (हि.प्र.), 176094, बी) श्रीमती उदु बाला पत्नी दिनेश कुमार, गांव भीर, डककर-लंबागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला-कांगड़ा (हि.प्र.) 176096

चल संपत्ति का विवरण:- सभी हार्डपॉइन्ट संपत्तियां जैसे बुक डेटर, प्राप्तावत, उभोय स्टोर्स एवं स्पेयर सहित मौजूद परिसंपत्तियां तथा हार्डपॉइन्ट चाल प्लांट एवं मशीनरी आदि। प्लांट एवं मशीनरी का विवरण निम्न प्रदान किया गया है:- एक सैट टुना प्लेट मशीन 12,6,8,7 सेंटी

4.	शाखा: बेरी	प्राधिकृत अधिकारी: विजय चौहान मो. 7417776620 शाखा प्रमुख श्री अरुण वर्मा मो. 8284859777	श्रीमती सीतो वरमा पुत्र श्री भगत वरमा, प्रा.प. मेसर्स वरमा जन्मल स्टोर, गांव एवं डककर बिनीला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) गारंटर: श्री प्रवीण कुमार चंदेल पुत्र दत्तसिंह सिंह चंदेल, गांव पुनन डककर बेरी गजदिया, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)-1740001	ए) 14.01.2020 बी) 30.06.2017 को रु. 7,94,208.00 जमा लंबित ब्याज और प्रभार सी) 07.10.2022 डी) वर्तमान बकाया देय राशि रु. 8,93,184.20 जमा लंबित ब्याज, विधिक और वसूली प्रभार। ई) भौतिक कब्जा	ए) 29.01.2024 को प्रातः 11:00 बजे से 17:00 बजे तक बी) 29.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मध्य 05:00 बजे के मध्य (10 मिनिट प्रत्येक के मध्य विस्तार सहित)	रु. 2,55,000/- रु. 26,000/- रु. 5,000.00
----	------------	---	--	---	--	--

अचल संपत्ति का विवरण:- खाता खतौनी सं. 25/25 (नई 0, 23/23 (पुराना) खसरा सं. 80 (भूमि माप 0-13 बीघे में से) में सम्मिलित भूमि माप 0-9 बीघे पर एक भवन, वर्ष 2010-11 दिनांक 10.03.2015 के लिए जमाबंदी के अनुसार श्री संतोष कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव रि-फितुरी, डककर बिनीला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) द्वारा स्वाधिन एवं कब्जा।

5.	शाखा: गारोट	प्राधिकृत अधिकारी: चंद्रशेखर यादव मो. 9162462418 शाखा प्रमुख श्री गौरव कपिल मो. 9418210476	श्रीमती मेसर्स सलील कर्लीय हाउस प्रा.प. श्री सलील मितल पुत्र श्री जगन नाथ, मेसर्स, गांव एवं डककर गारोट, तहसील पनारी, जिला ऊना (हि.प्र.)-177201 गारंटर: श्री जगन नाथ पुत्र श्री सुरेश लाल निवासी गांव एवं डककर गारोट, तहसील पनारी, जिला ऊना (हि.प्र.)-177201	ए) 03.01.2023 बी) रु. 5,96,940.23 जमा लंबित ब्याज और प्रभार सी) 09.06.2023 डी) वर्तमान बकाया देय राशि रु. 5,45,588.73 जमा लंबित ब्याज, विधिक और वसूली प्रभार। ई) प्रतीकात्मक कब्जा	ए) 29.01.2024 को प्रातः 11:00 बजे से 17:00 बजे तक बी) 29.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मध्य 05:00 बजे के मध्य (10 मिनिट प्रत्येक के मध्य विस्तार सहित)	रु. 8,20,000/- रु. 82,000/- रु. 10,000/-
----	-------------	--	--	---	--	--

अचल संपत्ति का विवरण:- उस पर बने हुए भवन एवं सुपरस्ट्रक्चर के साथ अप मोहाल एवं मौजा गारोट, तहसील पनारी, जिला ऊना (हि.प्र.) में स्थित वर्ष 2012-2013 के लिए जमाबंदी में प्रविष्ट अनुसार भूमि माप 2003 वर्ग मीटर-44 वर्ग डेसीमीटर विवरण खेवट सं. 402, खतौनी सं. 499, खसरा सं. 2689 से 2695, 2705 से 2711, 2724 से 2728, 2740 से 2744, 2752, 2755, 2756 किता 25 में से 4411/7056 के तौर पर भूमि माप 125 वर्ग मीटर-21 वर्ग डेसीमीटर की पंजीकृत मोटींज।

संपत्ति 2- उस पर बने हुए भवन एवं सुपरस्ट्रक्चर के साथ अप मोहाल एवं मौजा गारोट, तहसील पनारी, जिला ऊना (हि.प्र.) में स्थित वर्ष 2012-2013 के लिए जमाबंदी में प्रविष्ट अनुसार कुल भूमि माप 767 वर्ग मीटर, 00 डेसीमीटर विवरण खेवट सं. 403, खतौनी सं. 500, खसरा सं. 2705, 2725 किता-2 में से 4411/7056 हिस्से के तौर पर भूमि एवं भवन माप 47 वर्ग मीटर-94 वर्ग डेसीमीटर की पंजीकृत मोटींज।

ई-नीलामी विक्री की नियम एवं शर्तें:- 1. विक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का विषय होगा। विक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट/वेब पोर्टल: 1) <https://baananket.com>, 2) <https://www.ucobank.com> पर उपलब्ध/प्राकाशित की गई है। 2. संपत्तियां "जैसा है जहां है" एवं "जो है जैसा है" तथा "जहां पर है जैसी है" के आधार पर बेची जाएगी। 3. उक्त अनुसूची में वर्णित सिस्कोई परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण जानकारी से है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्देश्य में किसी जुट, भगत जानकारी व विलोपन के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 4. अप्रोहस्तारही द्वारा विक्री वेबसाइट यूआरएल: <https://baananket.com> पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 30.12.2025 को प्रातः 11:00 बजे से प्रांथ की जाएगी। 5. बैंक ई-नीलामी में भाग लेने के अर्हता में स्वयं बोली प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने से खुला है। 6. बोलियां बोली प्रथम से संलग्न अनुसार पचान दस्तावेजों की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। 7. 10 प्रतिशत अपसेट कीमत/आवृत्ति कीमत प्रत्येक खाते के अर्हता वर्णित खाते विवरण आर्टोजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से ईंग्रैड हेतु प्रस्तुत की जानी है अथवा ईंग्रैड एक्ल बोलीदाता के मामले में बैंड से। 6 में निर्दिष्ट वेबसाइट एक्सेसिबल द्वारा नीलामी प्रदाता की ई-वॉलेट से जमा की जा सकती है, कौट की गई बोली राशि आवृत्ति कीमत से एक अधिक हो। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी की निरस्त/स्थगित करने अथवा अधिक बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. अचल संपत्ति की विक्री पर, सफल बोलीदाता तत्काल प्रत्येक खाते के अंतर्गत उक्त निर्दिष्ट अनुसूची बंध खाते में आर्टोजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से विक्री राशि की पचस प्रतिशत (25%) राशि विक्री आवृत्ति करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को जमा करेगा, जिससे असफल रहने पर जमा की गई राशि राशि जमा कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः विक्री की जाएगी। 9. सफल बोलीदाता उसके पक्ष में विक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर राशि जमा करेगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के आधार पर) द्वारा लिखित में समझौते के अनुसार बकाया देय राशि जमा करेगा, जो तौता मध्य से अधिक नहीं होगी। यदि इस प्रकार के विस्तार की अनुमति दी जाती है तो सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता कथित अधिद की भीतर राशि जमा करने में असफल रहने तो जमा की गई राशि जमा कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः विक्री की जाएगी। 10. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स पीएसबी एलएसए, पंजीकृत कर्षण कृषि, 1, तृतीय तल, बीआईओएस कॉमर्शियल टावर, समीप बखला टावर टर्मिनल, बखला ईस्ट, मुम्बई-400037 (संपर्क सं. +91 82912 10220 ई-मेल: psba@psballance.com) द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट, यूआरएल: <https://baananket.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। लॉगिन एवं पंजीकरण के लिए पूर्ण केंता दिता निर्दिष्ट तथा बोली प्रक्रिया एवं मेकलोडेंगी भी सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 11. विक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी यदि बोली निम्नलिखित सफल बोलीदाता का विक्री पुष्टि पर जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को खतौनी ही अन्य खतौनी के साथ सिस्टमद्वारा देय का भुगतान करेगा, यदि बैंक सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूर्ण राशि को ब्याज के बिना वापस करेगा। 12. वैधानिक देय/देखता आदि, सरकार/स्थानीय सरकार को देय आदि, यदि कोई हुआ, का सफल बोलीदाता द्वारा वधान किया जाएगा। सफल बोलीदाता रु. 50 लाख से अधिक लागत की संपत्ति की 1 प्रतिशत टीडीएस का वधान करेगा। बोलीदाता को सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baananket.com> के माध्यम से जाने का परामर्श दिया जाता है अथवा नीलामी में भाग लेने से पूर्व संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। सभी प्रतिभागी बोलीदाता को वेबसाइट पर प्रदान की गई सभी शर्तों को पढ़ने एवं समझने का परामर्श दिया जाता है और वह सभी शर्तों के लिए उत्तरदायी है। नीलामी सिस्कोई क्रेडिट बैंक की पुष्टि का विषय है। आगे, संपत्तियों के संबंध में किसी छुलाहट, दस्तावेजों के सत्यापन तथा/अथवा विक्री की नियम एवं शर्तें कर्षणद्वारा संपत्ति के दीन उक्त वर्णित अनुसार संबंधित शाखा प्रबंधकों से प्राप्त की जा सकती है। 13. संपत्ति "जैसी है और जहां है आधार" पर बेची जाएगी तथा इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्रभारी के अलग किसी प्राधिकृत की संपत्ति के संबंध में सहायक से छुलाहट कर सकते हैं तथा अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व संपत्ति के शोध, विस्तार, गुणवत्ता एवं मजबूत के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें। किसी अन्य मामले आदि में संपत्ति पर विक्री, प्रभार, भारों के लिए संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकृति के दाये अन्वेषण बोली प्रस्तुत करने के पश्चात विचारणीय नहीं होगा। 14. विक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का विषय होगा। उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सिस्कोई परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण जानकारी से निर्दिष्ट किया गया है लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्देश्य में किसी जुट, भगत जानकारी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम-2002 के अधीन 15 दिनों की वैधानिक विक्री सूचना
ऋणियों/गारंटों को एतद्वारा विक्री की पुष्टि से पूर्व तिथि तक ब्याज एवं अनुपूर्णी खर्चों के साथ उक्त वर्णित राशि के भुगतान करने हेतु अभिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की